

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 480/सो.आ.नि.-393(1)/2018
दिनांक: 28 दिसम्बर, 2018

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(कासगंज, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषय:- ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का जनपद स्तर पर पैनेल तैयार किया जाना।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए गत वर्षों की तुलना में अधिकाधिक संख्या में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सोशल आडिट सम्पन्न करने एवं सोशल आडिट की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु प्रत्येक जिले में जनपद स्तर पर ब्लाक संसाधन व्यक्तियों (Block Resource Persons) का पैनेल तैयार किए जाने हेतु निदेशालय द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जा रही है जिसकी प्रति आपके सूचनार्थ संलग्नक-1 पर प्रेषित है। प्रत्येक जनपद में पैनेल पर रखे जाने वाले ब्लाक संसाधन व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख संलग्नक-2 में दिया गया है। ब्लाक संसाधन व्यक्तियों हेतु आवेदन-पत्र जिला विकास अधिकारी कार्यालय में दिनांक 21-01-2019 तक प्राप्त किए जाएंगे।


2- प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करने हेतु निम्नवत् चयन समिति का गठन करते हुए 15 फरवरी, 2019 तक प्रत्येक दशा में ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनेल तैयार करने की कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें, ताकि 01 अप्रैल, 2019 से इनकी सेवाएं ली जा सकें :-

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मण्डलायुक्त द्वारा नामित किसी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ किसी प्रतिष्ठित संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3	जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

3- यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनेल बनाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में संविदा पर कार्यरत ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटरों की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था से पूर्णतया अतिरिक्त होगी तथा मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगी।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार ब्लाक संसाधन व्यक्तियों के पैनेल पर रखे जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को दैनिक आधार पर सूचीबद्ध कराने, उन्हें विवरण सहित सुरक्षित रखने तथा निर्धारित अवधि तक पैनेल तैयार कराने का कष्ट करें।


संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीया,

(कु० रेखा गुप्ता) 28/12/18
निदेशक।
9 e e

पत्रांक 480 (1)/सो.आ.नि.-393(1)/2018

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।


(क० रेखा गुप्ता) 28/12/18
निदेशक।
w/c L

Block resource persons to be empanelled				
S.N o.	District	No. of Blocks	No. of GPs (as per MGNREGA Gol website)	No. of Block resource persons to be empanelled
1	2	3	4	5
1	AGRA	15	695	19
2	ALIGARH	12	902	13
3	PRAYAGRAJ	20	1637	24
4	AMBEDKAR NAGAR	9	927	9
5	AMETHI	13	682	19
6	AMROHA	6	601	8
7	AURAIYA	7	477	8
8	AZAMGARH	22	1871	27
9	BAGHPAT	6	245	10
10	BAHRAICH	14	1054	14
11	BALLIA	17	951	19
12	BALRAMPUR	9	801	9
13	BANDA	8	471	14
14	BARABANKI	15	1168	16
15	BAREILLY	15	1193	16
16	BASTI	14	1235	16
17	BIJNOR	11	1128	17
18	BUDAUN	15	1038	20
19	BULANDSHAHR	16	951	29
20	CHANDAULI	9	734	9
21	CHITRAKOOT	5	335	5
22	DEORIA	16	1190	17
23	ETAH	8	578	10
24	ETAWAH	8	471	12
25	AYODHYA	11	835	14
26	FARRUKHABAD	7	603	9
27	FATEHPUR	13	840	16
28	FIROZABAD	9	570	12
29	GHAZIPUR	16	1237	18
30	GONDA	16	1054	16
31	GORAKHPUR	19	1354	22
32	HAMIRPUR	7	339	8
33	HAPUR	4	273	8
34	HARDOI	19	1308	20
35	HATHRAS	7	474	8
36	JALAUN	9	575	10
37	JAUNPUR	21	1773	29
38	JHANSI	8	496	8
39	KANNAUJ	8	504	12
40	KANPUR DEHAT	10	640	13
41	KANPUR NAGAR	10	590	10

Block resource persons to be empanelled				
S.No.	District	No. of Blocks	No. of GPs (as per MGNREGA GoI website)	No. of Block resource persons to be empanelled
1	2	3	4	5
42	KAUSHAMBI	8	498	9
43	KHERI	15	1167	18
44	KUSHI NAGAR	14	1050	17
45	LALITPUR	6	416	6
46	LUCKNOW	8	567	11
47	MAHARAJGANJ	12	929	14
48	MAHOBA	4	273	4
49	MAINPURI	9	552	13
50	MATHURA	10	519	18
51	MAU	9	678	10
52	MEERUT	12	482	24
53	MIRZAPUR	12	810	15
54	MORADABAD	8	584	9
55	MUZAFFARNAGAR	9	498	17
56	PILIBHIT	7	721	9
57	PRATAPGARH	17	1255	31
58	RAE BARELI	18	989	23
59	RAMPUR	6	684	7
60	SAHARANPUR	11	887	22
61	SAMBHAL	8	556	9
62	SANT KABEER NAGAR	9	794	9
63	SANT RAVIDAS NAGAR	6	561	6
64	SHAHJAHANPUR	15	1077	20
65	SHAMLI	5	230	6
66	SHRAVASTI	5	400	7
67	SIDDHARTH NAGAR	14	1199	16
68	SITAPUR	19	1602	23
69	SONBHADRA	8	637	8
70	SULTANPUR	14	986	16
71	UNNAO	16	1044	18
72	VARANASI	8	760	10
	TOTAL	806	58205	1018

उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन

(उ०प्र० सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी)

(सोशल आडिट निदेशालय, उ०प्र०)

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

संख्या:

दिनांक :

विज्ञप्ति

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए गत वर्षों की तुलना में अधिकाधिक संख्या में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सोशल आडिट सम्पन्न करने एवं सोशल आडिट की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु प्रत्येक जिले में जनपद स्तर पर ब्लाक संसाधन व्यक्तियों (Block Resource Persons) का एक पैनल तैयार किया जाना प्रस्तावित है। पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट को फैंसिलिटेड करने का दायित्व सौंपा जा सकेगा। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत के सोशल आडिट हेतु ब्लाक संसाधन व्यक्ति को रू० 2000/- व्यवसायिक शुल्क तथा रू० 500/- व्यवसायिक यात्रा शुल्क की अनुमन्यता प्राविधानित है। इंगेज किए जाने वाले ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP) से कितनी ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट में सहयोग प्राप्त किया जाएगा, यह निर्णय निदेशक, सोशल आडिट, उ०प्र० के विवेकाधीन होगा। यह भी सम्भव है कि पैनल में रखे गए किसी BRP को वर्ष में एक भी ग्राम पंचायत में सोशल आडिट को करने का अवसर न मिल सके। ब्लाक संसाधन व्यक्ति से सोशल आडिट से सम्बन्धित अन्य कार्य भी यथावश्यक निर्धारित व्यावसायिक शुल्क पर लिया जा सकता है।

2- ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP) के पैनल में सम्मिलित किए जाने हेतु न्यूनतम अर्हता/प्राथमिकता/आयु सीमा:

- (i) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।
- (ii) जन समस्याओं से संबंधित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी रखता हो।
- (iii) कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्षता हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हो।
- (iv) आयु- 01 जुलाई, 2018 को न्यूनतम आयु 40 वर्ष तथा अधिकतम 65 वर्ष के बीच हो। उक्त आयु वर्ग के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी न मिलने पर न्यूनतम आयु सीमा को शिथिल करने हेतु निर्णय यथासमय निदेशक द्वारा लिया जा सकता है। पर्याप्त अभ्यर्थी से तात्पर्य रिक्ति के कम से कम तीन गुना आवेदनपत्रों की प्राप्ति से है।
- (v) अभ्यर्थी उसी जनपद का निवासी हो।
- (vi) निदेशालय के सौजन्य से सोशल आडिट से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त अथवा सोशल आडिट की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों तथा मनरेगा जॉबकार्डधारी के परिवार के सदस्यों को वरीयता दी जाएगी।

3- यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्लाक संसाधन व्यक्ति के रूप में पैनल पर रखे गए व्यक्ति की सेवाएं किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी नहीं है और न ही भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए उनकी कोई हकदारी होगी। पैनल पर रखे गए व्यक्ति को किसी भी समय बिना नोटिस दिए पैनल से हटाया जा सकता है।

4- इस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार किया गया पैनल 31 मार्च, 2021 तक के लिए मान्य होगा। जिलेवार ब्लाक संसाधन व्यक्तियों की अनुमन्य संख्या निदेशालय की वेबसाइट www.socialauditup.in पर उपलब्ध है।

5- ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल बनाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में संविदा पर कार्यरत ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था से पूर्णतया अतिरिक्त होगी तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगी।

6- उपरोक्तानुसार इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से निम्नांकित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

आवेदन पत्र का प्रारूप	
1- सेवा का नाम : ब्लाक संसाधन व्यक्ति, जनपद	अभ्यर्थी की स्व-हस्ताक्षरित फोटो
2- अभ्यर्थी का नाम : श्री/सुश्री	
3- जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)	
4- पिता/पति का नाम :	
5- शैक्षिक योग्यता :	
6- कम्प्यूटर पर कार्य करने की क्षमता की पुष्टि में प्रमाण-पत्र का विवरण:	
7- अनुभव (सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में प्राप्त प्रशिक्षण एवं कृत सोशल आडिट का विवरण) :	
8- मूल निवास का पता, विकास खण्ड एवं जनपद सहित :	
9- पत्राचार का पता, मोबाइल नं0 तथा ई-मेल (यदि हो) :	
अभ्युक्ति- मूल निवास, शैक्षिक योग्यता, अनुभव (सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में प्राप्त प्रशिक्षण/कृत कार्यवाही) की पुष्टि में स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र/अभिलेख की प्रति संलग्न करें। मूल निवास के प्रमाण हेतु निर्वाचन परिचय-पत्र या आधार कार्ड भी मान्य होगा।	
संलग्नकों का विवरण :	
1-	अभ्यर्थी का हस्ताक्षर व दिनांक
2-	

7- भरे हुए आवेदन-पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला विकास अधिकारी कार्यालय में स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे जाने चाहिए कि आवेदन पत्र दिनांक 21-01-2019 तक कार्यालय अवधि में अवश्य प्राप्त हो जाएं।

(कु0 रेखा गुप्ता)

निदेशक

१०६